

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.09.2024*

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रामकेश पुत्र पराग निवासी सियर कला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 रविकान्त ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 127 वाहनों से 1,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 127 वाहनों से 1,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2024 जनपद- सन्तकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे “साथ-साथ कार्यक्रम” के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 05 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में चलाये जा रहे ***'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)*** के तहत आज दिनांक **29.09.2024** को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **SHO सुश्री सरोज शर्मा एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी** के अध्यक्षता में **05** मामले आये। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.प्रथम पक्ष – अफसाना खातून पुत्री मुख्तार अहमद निवासी ग्राम-विशनपुर, थाना-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर व **द्वितीय पक्ष –** इमरान पुत्र खालिद निवासी ग्राम-नन्दौर चौराहा, थाना – बखिरा, जनपद – संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2.प्रथम पक्ष – प्रमिला देवी पुत्री मुरली निवासी ग्राम-भकरही विश्वेश्वरगंज, थाना- दुबौलिया, जनपद बस्ती व **द्वितीय पक्ष –** राजा बाबू पुत्र राममगन निवासी ग्राम-रजापुर सरईया, थाना- कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3.प्रथम पक्ष – रेनू पत्नी विजय निवासी ग्राम-डीघा, थाना- कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** विजय पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम-डीघा थाना- कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

4.प्रथम पक्ष – माया पत्नी नन्हेलाल निवासी ग्राम-महुली, थाना- महुली, जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** नन्हेलाल पुत्र रामअचल निवासी ग्राम-महुली, थाना- महुली, जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

5.प्रथम पक्ष – शीला देवी पत्नी विकास निवासी ग्राम-सनवरिया, थाना- बेलहरकला, जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** विकास पुत्र बुद्धन निवासी ग्राम-सनवरिया, थाना- बेलहरकला, जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 29.09.2024

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01
स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे***

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र* हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 29.09.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।